उनवान–बुढा वगैरा बनाम उरस वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 161/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 161/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बूढा पुत्र हाजी 2. सुमरा पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. उरस पुत्र जुसब जाति मुसलमान 2. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम जाति विश्नोई 3. कृष्णा कुमारी पुत्र हनुमानाराम जाति विश्नोई 4. किशनाराम पुत्र भारताराम जाति विश्नोई 5. नरज मोहम्मद पुत्र जुसब जाति मुसलमान 6. राजीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति विश्नोई 7. वरजूदेवी पत्नी भारताराम जाति विश्नोई 8. सोहनलाल पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेरं 9. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहनलाल खिलेरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/04/2026

प्रार्थीगण बूढा पुत्र हाजी जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है– "प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 429/100 रकबा 5–8032 हैक्टेयर का आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बना हुआ है। उक्त खसरा की नकल चालू जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि खसरा नम्बर 804/100 रकबा 5–7951 हैक्टयर का आया हुआ है, जो समस्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी की थी, जिसे प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 ने आपसी सहमति से मौके पर पक्षकारान के बाहामी बंटवाडा व कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत बंटवाड़ा करवाया गया जिससे मूल खसरा नम्बर 100 का विभाजन होकर अलग अलग प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 से 08 के नाम से दर्ज हो गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तथा सहमति विभाजन के अनुसार ही प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 अलग अलग काश्त करते है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के मूल खेत खसरा नम्बर 100 का आपसी सहमति बंटवाडे के समय जो नक्शा तैयार किया गया, वह सही तैयार नहीं किया गया तथा जो पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं था तथा बंटवाडे के बाद जब हल्का पटवारी ने लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम की गई थी, जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है तथा राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किये बिना ही पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गयी तथा गलत तरमीम कर दी गई। वादग्रस्त खेत में मौके पर कब्जा काश्त के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग हरा के अनुसार प्रार्थीगण व बंरग लाल विप्रार्थी संख्या 01 से 08 का है तथा इसी अनुसार राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम करनी थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी है तथा गलत रूप से की गई तरमीम से प्रार्थीगण की ढाणीयां वगैरा विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की तरमीम में चली गई है इसलिये सहमति बंटवाडा में की गई तरमीम को प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त की स्थिति व तरमीम में भारी भिन्नता है तथा लट्ठा ट्रेस की तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण की ढाणी, टांके व चारबाडे आदि विप्रार्थी के खसरे में चली गये है इसलिये प्रार्थीगण अपने खेत के कब्जा काश्त के अनुसार अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते है, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पेश है। प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर संलग्न नजरी नक्शों के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु वादग्रस्त खेत की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई है [illegible] की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, इसलिये प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है। अतः तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेडवा में जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 429/100 रकबा 5–8032 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि खसरा नम्बर 804/100 रकबा 5–7951 हैक्टैयर मौजा सालारिया की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरुस्त कर मौके पर कब्जा काश्त, नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरुस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण स्वयं ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर परिशिष्ट 'ब' अनुसार मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2025/1829 दिनांक 17.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/1129 दिनांक 29.10.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन अनुसार **''मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण व मौतबरान मौके पर उपस्थित हुए। ग्राम सालारिया के खसरा संख्या 429/100 रकबा 5–8032 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम व खसरा संख्या 804/100 रकबा 5–7951 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थीगण उरस वगैरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उपर्युक्त आराजी भूमि की तरमीम विभाजन का नामान्तरकरण दायर करते वक्त मौका कब्जा अनुसार तरमीम प्रस्तावित नहीं की है। मौके पर कब्जा व रेकर्ड की तरमीम में भिन्नता है। उक्त आराजी की तरमीम दुरुस्ती प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण आपसी सहमति, कब्जाकाश्त अनुसार करवाना चाहते है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के वर्तमान लट्ठाट्रेस में अंकित तरमीम को संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' से दर्शित किया गया है। परिशिष्ट 'ब' में हरे रंग से दर्शित भूमि को प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त, रहवासी ढाणियां, ट्यूबवैल इत्यादि अनुसार व बरंग केसरिया रंग से दर्शित भूमि को विप्रार्थीगण उरस वगैरा के कब्जेकाश्त, रहवासी ढाणियां व ट्यूबवैल अनुसार तरमीम दुरुस्ती प्रस्तावित की गई है। अतः संलग्न नक्शे में दर्शित**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

परिशिष्ट 'ब' कब्जाकाश्त, आपसी सहमति अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। संलग्न नक्शा फर्द मौका(तरमीम दुरुस्ती) का अभिन्न अंग है। फर्द मौका मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाए गए।"

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहंस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 161/2025 उनवान बुढा वगैरा बनाम उरस वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेडवा जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 429/100 रकबा 5–8032 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि खसरा नम्बर 804/100 रकबा 5–7951 हैक्टैयर भूमि तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/1129 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.09.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/4/26 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1129

दिनांकः—29.10.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 161 / 2025 अनवान बुढा वगैरह बनाम उरस वगैरहा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 161 / 2025 के के कम में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 161 / 2025 अनवान बुढा वगैरह बनाम उरस अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम सालारिया के खसरा नंबर 804 / 100, 429 / 100 में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक सेडवा द्वारा दिनांक 24.09.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा
तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (BDO)

06/02/2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कॉपी

मौका फर्द

आज दिनांक 24/09/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू.अ./ 1537 दि० 19/09/2025 व माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 161/2025 अगराम बूढा वगैरा बनाम उरस वगैरा अंतर्गत धारा 131, 136 RLR Act में ग्राम सालारिया के खसरा सं. 804/100 व 429/100 की तरमीम दुरुस्ती की मौका रिपोर्ट तैयार करने मौके पर आया।

मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण व मौतबिरान मौके पर उपस्थित आये। ग्राम सालारिया के खसरा सं. 429/100 रकबा 5.8032 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम व खसरा सं. 804/100 रकबा 5.7951 हेक्टेयर भूमि विप्रार्थीगण उरस वगैरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त आराजी भूमि की तरमीम विभाजन का नामान्तरण दायर करते वक्त मौका कब्जा अनुसार तरमीम प्रस्तावित नहीं की, मौके पर कब्जा व रेकर्ड की तरमीम में भिन्नता है उक्त आराजी की तरमीम दुरुस्ती प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण आपसी सहमति, कब्जाकाश्त अनुसार करवाना चाहते है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के वर्तमान लट्ठा में अंकित तरमीम को संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' से दर्शित किया गया है। परिशिष्ट 'ब' में हरे रंग से दर्शित भूमि को प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त रहवासी ढाणियां व ट्यूबवेल इत्यादि अनुसार व बरंग केसरिया रंग से दर्शित भूमि को विप्रार्थीगण उरस वगैरह के कब्जेकाश्त, रहवासी ढाणियां व ट्यूबवेल अनुसार तरमीम दुरुस्ती प्रस्तावित की गई है। अत: संलग्न नक्शे में दर्शित परिशिष्ट 'ब' कब्जाकाश्त आपसी सहमति अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। संलग्न नक्शा फर्द मौका (तरमीम दुरुस्ती) का अभिन्न अंग है।

फर्द मौका मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगु. अंकित करवाये गये।

C.S.

24/09/25
ILR सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: SelfAttested

किशनाराम

सोहनलाल

ओमप्रकाश

कृष्णा कुमारी

सरस्वती

राजी मालम भजनी

मौजा सालारिया
प०म० - सालारिया

परिशिष्ट 'अ'
(वर्तमान तरमीम)

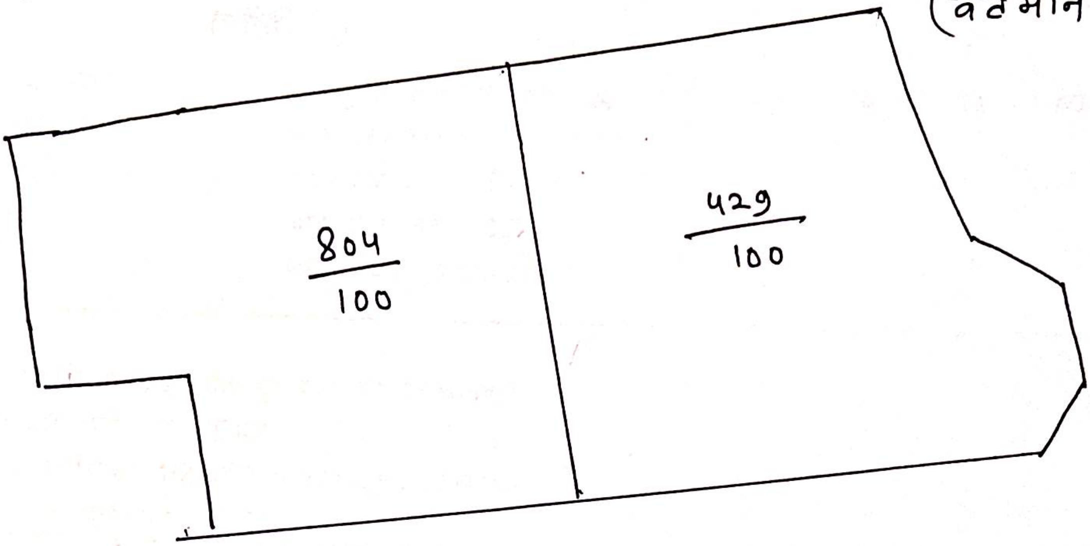

परिशिष्ट 'ब' – आपसी सहमति, कब्जाकाश्त रहवासी शाणियां, ट्यूबवेल अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती

प्रस्तुत कार्य
SDO सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

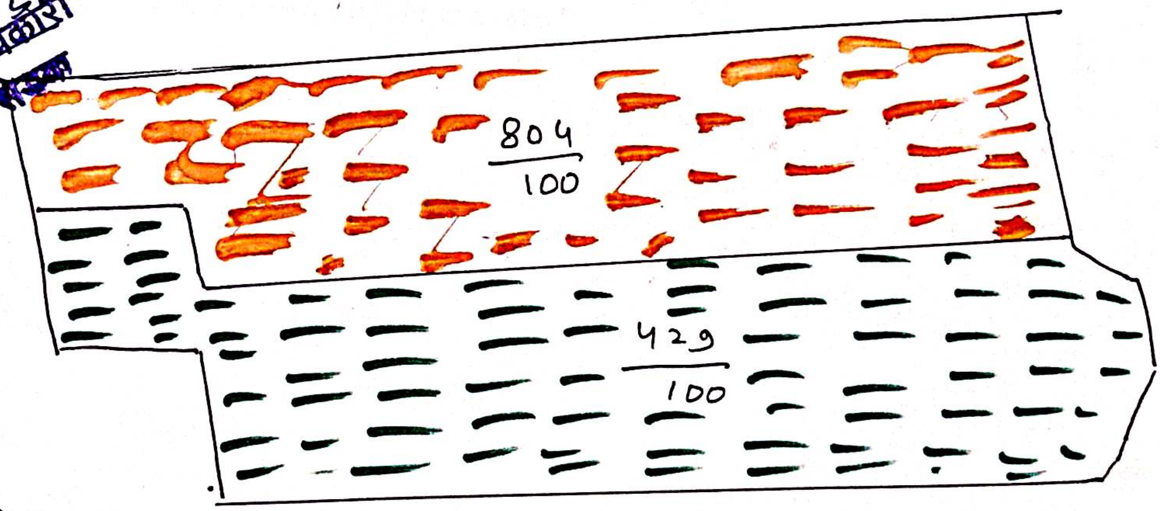

संकेत

वादी बुढा वर्ग० की भूमि

प्रतिवादी पुरस वर्ग० की भूमि

C.S.

24/09/25
ILR सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:46:07 IST
Reason: SelfAttested

खेताराम
वकील ज्ञानी राज
ओमप्रकाश
किशनाराम
सोहनलाल
कृष्णा
राजू
राणी
भागाम
नवाराम
दास
बुढा
सुमेरा
सरस्वती